भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294719 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

निविदा आमंत्रण सूचना

विषयः सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय परिसर (सरकारी क्वार्टर) के बीच में किनारे-किनारे गमलों में लगाए गए पौधों को पानी देने व रखरखाव करने के लिए वर्ष 2019-20 की वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) ।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, "सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर) के बीच में किनारे-किनारे गमलों में लगाए गए पौधों को पानी देने व रखरखाव करने" के लिए अनुभवी सेवा प्रदाताओं से वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा हेतु मुहरबंद निविदाएं" आमंत्रित करता है।

(I) **निविदा प्रस्तुत करने की क्रियाविधि:**

1. निविदा दो बोली प्रणाली में निम्नानुसार दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएं।
लिफाफा 1 जिसके ऊपर "तकनीकी बोली" लिखा गया हो, में उपपैरा III में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ रखे जाएं।

लिफाफा 2 जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, में उपपैरा IV में यथाउल्लिखित बोली मूल्य रखा जाए।

2. ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हो, "सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर) के बीच में किनारे-किनारे गमलों में लगाए गए पौधों को पानी देने व रखरखाव करने के लिए वर्ष 2019-20 की वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए जाने के संबंध में सीप्ज़-सेज़ निविदा"। यह लिफाफा प्रबंधक (संपदा), सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 को संबोधित किया जाए।

3. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में **दिनांक 19/08/2019 को 14:30 बजे** तक डाक/कूरियर द्वारा अथवा स्वयं बोलीदाता द्वारा अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जाएगा अथवा यह विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़ – सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400096 के भूमितल पर स्थित स्वागत काउंटर के निकट रखी निविदा पेटी में डाला जा सकता है।

4. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

5. निविदा पर कंपनी / फर्म की मुहर लगाकर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा ये मुद्रित रूप में पूर्ण हों।

6. निविदा दस्तावेज़ का प्रत्येक पृष्ठ जिसमें विशिष्टियां आदि भी शामिल हैं, पर बाएं हाथ के कोने में सबसे नीचे बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए।

7. प्रत्येक सुधार /विलोप / परिवर्धन / लिप्त लेखन / चिपकाई गई पर्ची पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।

8. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. बोलीदाताओं को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अर्थात (जोकि व्यक्ति, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के संघ के रूप में लागू हो) के प्राधिकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग-अलग अवश्य हस्ताक्षर किया जाए अथवा किसी पार्टनर की अनुपस्थिति में, उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

11. यदि संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठान द्वारा बोली प्रस्तुत की जाती है, तो उक्त संयुक्त उद्यम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिष्ठान को पूर्व अर्हता के लिए अनुबंधित मानदंड हेतु इसके प्रस्तेक भागीदार सदस्य द्वारा अलग से हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा किसी भागीदार के न होने की स्थिति में ऐसा करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले अधिकारी को हस्ताक्षर करना होगा।

12. बोलीदाता शब्दों में तथा अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे। यदि शब्दों में दरें, अंकों में उल्लिखित दरों से भिन्न होंगी, तो इनमें से जो भी दर कम होगी, वही सही दर माना जाएगा।

13. ईएमडी तथा पैरा III में उल्लिखित आवश्यक दस्तावजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले निविदाएं संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

14. निविदा खोले जाने के समय बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

15. समिति यदि चाहे, तो बोलीदाता की पात्रता निर्धारण के मामले में बिना कोई कारण बताए इसकी शर्त अथवा शर्तें शिथिल कर सकती है, संशोधित कर सकती है। बोली प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किसी प्रकार की पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।

16. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

17. बोली वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

(II) **<u>निविदा का खोला जाना:</u>**

1. लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो, **"तकनीकी बोली"** <u>दिनांक **19/08/2019**</u> **को 15:30 बजे,** बोलीदाताओं तथा अथवा उनके प्रतिनिधि(यों) की उपस्थिति में जो निविदा समिति तथा इसके लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के समक्ष होना चाहे, खोला जाएगा।
2. लिफाफा 2 जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा 1 जिसके ऊपर "तकनीकी बोली" लिखा गया हो, वित्तीय बोली तकनीकी दृष्टि से अर्हक पाए जाने वाले बोलीदाताओं के बीच ही खोली जाएगी।

3. निविदा खोलने वाली समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी बोलीयों का मूल्यांकन किया जाएगा, दस्तावेजों की संवीक्षा किए जाने के पश्चात समिति पात्र बोलीदाता का चयन करेगी।

(III) तकनीकी बोली के आधार पर पूर्व अर्हता का मानदंड:

लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो "तकनीकी बोली" में निम्नलिखित दस्तावेज़ रखे जाएं ताकि इनके आधार पर नामिकायन के लिए "तकनीकी पात्रता" का निर्धारण किया जा सके।

1. बोलीदाता को **"सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि"** के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 15,000/- (पंधरा हजार रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। बयाना जमा राशि (ईएमडी) भुगतान से छूट पाने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे की एमएसएमई/एनएसआईसी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि अवश्य प्रस्तुत करें।

2. पैन तथा जीएसटी पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां।

3. पिछले तीन वर्षों के आइटी रिटर्नो की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां।

4. इस क्षेत्र का महाराष्ट्र में स्थित केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के उपक्रमों/महाराष्ट्र सरकार/ स्वायत्त निकायों/औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्मों/बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए संविदा से संबंधित कार्यादेश का प्रमाण।

5. विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. के न्यायिक स्टैंप पेपर पर निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए शपथ - पत्र:-
   - किसी भी केंद्र सरकार / राज्य सरकार / अर्धसरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी अधिष्ठान के कार्यालय द्वारा मेसर्स________को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
   - मै/हम सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगे, न गिरवी रखेगा और न ही उप – ठेक पर देगा। आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेंगे कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे।
   - मैंने/हमने निविदा सूचना के निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है, उन्हें समझ लिया है तथा हम उनका अनुपालन भी करेंगे।
   - ना तो मै/हम ना ही मेसर्स______ के कर्मचारी का निविदा प्रस्तुत किए जाने तक कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है।

6. बोलीदाता का मुंबई महानगर क्षेत्र में व्यवसाय का मुख्य स्थान हो। इस संबंध में, तकनीकी दस्तावेज़ों के साथ प्रमाण के रूप में निगमन प्रमाणपत्र / व्यवसाय प्रारंभ प्रमाणपत्र / दूकान तथा स्थापना लाइसेंस / स्थान अधिभोग करार / बिजली बिल / टेलीफोन बिल आदि अवश्य संलग्न किए जाएं।

(IV) **<u>वित्तीय कोटेशन</u>:**

1. लिफाफा 2 जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, केवल पात्र बोलीदाताओं के बीच ही खोला जाएगा।
2. लिफाफा 2 जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, में बोली मूल्य होना चाहिए।
3. वित्तीय बोली में सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर) के बीच में किनारे-किनारे गमलों में लगाए गए पौधों को पानी देने व रखरखाव करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए प्रति माह दरों का (देय करों को छोड़कर) उल्लेख हो।

(राजू कुमार)
सहायक विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

सं. सीप्ज़-सेज़/संपदा/डब्लूएएम/14/2019-20/14152

दिनांक 18/07/2019

अनुलग्नक:

1. कार्य का क्षेत्र **(अनुबंध - क)**
2. तकनीकी बोली फॉर्मेट **(अनुबंध - ख)**
3. वित्तीय बोली फॉर्मेट **(अनुबंध - ग)**

<u>अनुबंध - क</u>

<u>कार्य का क्षेत्र</u>

1. सीप्ज़ आवासीय कॉलनी में लॉन का रखरखाव घास काटकर, झाड़ साफ करके हमेशा हराभरा रखना।

2. सीप्ज़ आवासीय कॉलनी में समय-समय पर झाड़ियों की छंटाई, उनमें पानी –खाद देना तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव।

3. पौधे लगे हुए गमलो में पानी डालना, मिट्टी सुखाना, खाद डालना तथा कीटनाशक दवाओं का छिडकाव करना तथा पौधे लगे हुए गमलो का क्रमावर्तन करना तथा रखरखाव करना।

4. मध्यमार्ग के किनारे-किनारे रखे गमलों में लगे पौधों में पानी देना, छटाई करना तथा उनमें खाद डालना।

5. रखरखाव के लिए आवश्यक मिट्टी, खाद, उर्वरक, कीटनाशक जैसी सामग्रियां।

6. आवश्यकतानुसार मौके पर उद्यान के उचित रखरखाव के लिए आवधिक पर्यवेक्षण तथा माली को गाइड करना।
7. कार्य में दैनिक आधार पर गमलों में लगे हुए पौधों में पानी देना तथा उनका रखरखाव करना शामिल है।

8. सीप्ज़ कॉलोनी में कम से कम एक उद्यान पर्यवेक्षक तथा दो माली तथा सीप्ज़ कार्यालय परिसर के लिए तीन मालियों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

9. सीप्ज़ परिसर तथा आवासीय कॉलोनी में निर्धारित स्थलों पर रिलाइकिल किए गए / नल के पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। पौधों तथा लॉनों तक वाहन ले जाने की व्यवस्था करना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

****

तकनीकी बोली फॉर्मेट

1. एजेन्सी का नाम
2. दूरभाष नं.
3. ई-मेलः
4. बोलीदाता को "सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 15,000/- (पंधरा हजार रूपए) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। बयाना जमा राशि (ईएमडी) भुगतान से छूट पाने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे की एमएसएमई/एनएसआईसी प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि अवश्य प्रस्तुत करें।
5. पैन तथा जीएसटी पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां।
6. पिछले तीन वर्षों के आइटी रिटर्नो की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां।
7. इस क्षेत्र का महाराष्ट्र में स्थित केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के उपक्रमों/महाराष्ट्र सरकार/ स्वायत्त निकायों/औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्मों/बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए संविदा से संबंधित कार्यादेश का प्रमाण।
8. विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. के न्यायिक स्टैंप पेपर पर निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए शपथ - पत्रः-
   - किसी भी केंद्र सरकार / राज्य सरकार / अर्धसरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी अधिष्ठान के कार्यालय द्वारा मेसर्स________को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
   - मै/हम सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेंगे, न गिरवी रखेगा और न ही उप – ठेक पर देगा। आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेंगे कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे।
   - मैंने/हमने निविदा सूचना के निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है, उन्हें समझ लिया है तथा हम उनका अनुपालन भी करेंगे।
   - ना तो मै/हम ना ही मेसर्स______ के कर्मचारी का निविदा प्रस्तुत किए जाने तक कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है।
9. बोलीदाता का मुंबई महानगर क्षेत्र में व्यवसाय का मुख्य स्थान हो। इस संबंध में, तकनीकी दस्तावेज़ों के साथ प्रमाण के रूप में निगमन प्रमाणपत्र / व्यवसाय प्रारंभ प्रमाणपत्र / दूकान तथा स्थापना लाइसेंस / स्थान अधिभोग करार / बिजली बिल / टेलीफोन बिल आदि अवश्य संलग्न किए जाएं।

****

अनुबंध – ग

वित्तीय बोली फॉर्मेट

मात्रा	मद विवरण	दर (अंकों तथा शब्दों में)	यूनिट	राशि (रूपयों में)
12	मद संख्या : 1 सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल के बीच में किनारे-किनारे गमलों में लगाए गए पौधों को पानी देने व रखरखाव करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक संविदा में शामिल मदें। **1.** सीप्ज़ आवासीय कॉलनी में लॉन का रखरखाव घास काटकर, झाड़ साफ करके हमेशा हराभरा रखना। **2.** सीप्ज़ आवासीय कॉलनी में समय-समय पर झाड़ियों की छंटाई, उनमें पानी – खाद देना तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। **3.** पौधे लगे हुए गमलों को बदलना तथा पौधे लगे हुए गमलो में पानी डालना, मिट्टी सूखाना, खाद डालना, छिड़काव करना तथा कीटनाशक दवाएं डाल कर उनका रखरखाव करना। **4.** मध्यमार्ग के किनारे-किनारे रखे गमलों में लगे पौधों में पानी देना, छटाई करना तथा उनमें खाद डालना। **5.** रखरखाव के लिए आवश्यक मिट्टी, खाद, उर्वरक, कीटनाशक जैसी सामग्रियां। **6.** आवश्यकतानुसार मौके पर उद्यान के उचित रखरखाव के लिए आवधिक पर्यवेक्षण तथा माली को गाइड करना। **7.** कार्य में दैनिक आधार पर गमलों में लगे हुए पौधों में पानी देना तथा उनका रखरखाव करना शामिल है। **8.** समय-समय पर सभी टूटे-फूटे पेड़ों तथा गमलों को बदलना।		जॉब महीना	
	कुल रू.			

लागत सार

"सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर) के बीच में किनारे-किनारे गमलों में लगाए गए पौधों को पानी देने व रखरखाव करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी"____रु. मात्र।

मैं/हम अपने/हमारे द्वारा ऊपर कोट किए गए सभी दरों के अनुसार उपर्युक्त मदों की पूर्ति के लिए सहमत है। निविदा दस्तावेज़ों में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
एजेन्सी की सील के साथ

: अन्य निबंधन तथा शर्तें :

1. सफल बोलीदाता को संविदा मूल्य का 10% निष्पादन प्रतिभूति के रूप में बोली के अंतिम रूप दिए जाने के तारीख से **(सात) 7** दिनों के अंदर भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डीडी के रूप में मुंबई में देय **"सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि"** के पक्ष में करना होगा, निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान न करने पर संविदा रद्द/समाप्त कर दी जाएगी तथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जाएगा।
2. संविदा के सफलापूर्वक समापन होने के पश्चात बयाना राशि के साथ निष्पादन प्रतिभूति जमा लौटाई जाएगी।
3. वर्ष 2018-19 के लिए सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर) के बीच में किनारे-किनारे गमलों में लगाए गए पौधों को पानी देने व रखरखाव करने का कार्य अभीक्षक अथवा उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य प्रतिनिधि की निगरानी में ही किया जाएगा।
4. घास-फूस तथा अपशिष्ट सामग्रियों के साफ करने, हटाने तथा निपटान किए जाने पर होने वाला सारा खर्च सफल बोलीदाता को करना होगा तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार के खर्चे का वहन नहीं किया जाएगा।
5. क्षेत्र में सामग्रियों तथा घास-फूस को फैलाने अथवा सुखाने अथवा अलग-अलग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. सफल बोलीदाता संविदा अवधि के दौरान लॉन तथा गमलों में लगे पौधों के साफ करने, उनमें पानी देने तथा रखरखाव के सभी कार्य करने के लिए जिम्मेदार होगा।
7. **बिल बनाना:-** संविदाकार अगले महीने के प्रथम सप्ताह में प्रतिमाह आर.ए. बिल प्रस्तुत करेगा जिसका जांच-पड़ताल के पश्चात एक महीने के अंदर भुगतान किया जाएगा। बिल पर लागू होने वाले करों की कटौती की जाएगी।
8. निविदा हस्तांतरणीय नहीं है। सफल बोलीदाता किसी उप संविदाकार अथवा अन्य किसी संगठन को किसी भी रूप में न तो उप संविदा देगा और न ही उसे निविदा सूचना के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की अनुमति होगी।
9. यदि बोलीदाता बिना कोई न्यायोचित कारण बताए रखरखाव तथा पानी पटाने का कार्य करने में विफल रहता है, तो इसे संविदा-भंग समझा जाएगा तथा ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को 1,000/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने अथवा इस संबंध में बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को रद्द करने / समाप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में, कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. संविदा के समाप्त अथवा रद्द किए जाने के पश्चात बोलीदाता मुआवज़े/हर्जाने अथवा अन्यथा के रूप में प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की राशि अथवा राशियां प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

****

अतिरिक्त संविदा शर्तें

1. कार्य का स्थानः कार्य का स्थान सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा आवासीय कॉलोनी है। यह एक सीमाशुल्क बंधित क्षेत्र है, अतएव, संविदाकार को अपने खर्चे पर अपने कामगारों/कर्मचारियों के गेट पास लेना होगा। सीप्ज़-सेज़ द्वारा इसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. संविदाकार को इस कार्य के लिए एक पूर्णकालिक अनुभवी व्यक्ति को रखना होगा जो कार्य को करवा सके, इसके लिए मार्गदर्शन कर सके तथा विनिर्देशों को अच्छी तरह समझता हो। वह संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण से अथवा उसके प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त करेगा तथा उस कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण अथवा उसके प्रतिनिधि को पूर्व सूचना दिए बिना कार्य स्थल से इस व्यक्ति को नहीं बदला जा सकता है।

3. संविदाकार कार्य के निष्पादन तथा अनुरक्षण के दौरान एहतियात बरतेगा जिससे किसी संपत्ति को कोई क्षति न पहुँचे तथा वह संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले निदेश के अनुसार इस प्रकार होने वाली क्षति की पूर्ति करेगा।

4. यदि संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण की राय में संविदाकार द्वारा लाई गई कोई सामग्री, खाद, उर्वरक, विनिदेशों के अनुसार दोषपूर्ण हो, ठीक न हो, तो इसे संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले लिखित अनुदेश के प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर हटाया जाएगा अन्यथा विभाग द्वारा संविदाकार की जोखिम तथा लागत पर इसका निपटान किया जाएगा तथा इस आधार पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. श्रमिक दरें तथा श्रमिकों को भुगतान: "कार्य के लिए नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों के भुगतान तथा अन्य शर्तों से संबंधित सभी अधिनियम तथा नियम संविदाकार के लिए बाध्यकारी होंगे। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के उपबंध भी संविदाकार के लिए बाध्यकारी होंगे जोकि दुर्घटना की स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। संविदा श्रम (विनिमय तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की उपबंध संविदाकार के लिए बाध्यकारी है"। यदि संविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिकों को कार्य के उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो संविदाकार को उसे कार्य स्थल से तत्काल हटाना होगा।

6. दुर्घटनाएः यदि कोई घातक अथवा अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, तो इसके संबंध में संविदाकार द्वारा संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण को तुरंत विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। संविदाकार द्वारा पुलिस प्राधिकारियों तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के संबंधियों को सूचना दी जाएगी तथा इस पर होने वाला सारा खर्च भी उसी को करना होगा।

7. तकनीकी तथा पर्यवेक्षी कर्मचारीः संविदाकार को कार्य के लिए योग्य तथा अनुभवी पर्यवेक्षक रखना होगा जो अच्छी तरह कार्य करवा सके तथा अन्य कर्मचारियों को सही मार्गदर्शन भी दे सके। संविदाकार द्वारा इस पर्यवेक्षक को लिखित रूप में संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करना होगा। संविदाकार इन आदेशों को शीघ्रता से अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होगा इस प्रयोजन के लिए संविदाकार लाइन, लेवल तथा कार्य की गुणता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्ति रखेगा।

215

8. संविदा श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार संविदाकार अपने श्रमिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वह संबंधित श्रम आयुक्त से लाइसेन्स प्राप्त करेगा।

9. संविदाकार अपना ऑफर प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य-स्थल का अच्छी तरह से निरीक्षण करेगा तथा कार्य-स्थल की स्थितियों से स्वयं को अवगत कराएगा।

10. जब तक कि विनिर्देशों के आशय एवं अर्थ के बाहर का कोई कार्य न हो अथवा जिस कार्य के लिए प्रभारी इंजीनियर से कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आदेश प्राप्त न हुआ हो, ऐसे किसी कार्य के लिए अतिरिक्त प्रभार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. सामान्य: संविदाकार के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी सामग्रियों, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता जैसी स्थानीय स्थितियों से परिचित है तथा उसने इसी आधार कार्य के लिए दर कोट किए हैं। उसके बारे में यह भी समझा जाएगा कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सभी विनिर्देशों/ड्राइंगों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा समझ लिया है।

12. यदि संविदा के अनुसार वर्किंग ड्राइंग के टाइप तथा उसके समरूप मदों के विनिर्देशों के शब्दों में कोई अंतर हो, तो ऐसी स्थिति में मदों के वास्तविक निष्पादन के प्रयोजन से बाद वाले को ही निर्णायक माना जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण का पूर्व में निर्णय प्राप्त किया जाए। मदों तथा विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अन्य किसी संघटक के लिए अतिरिक्त दर भुगतान योग्य होगा। संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई बड़ा विचलन जिसमें पर्याप्त अतिरिक्त परिव्यय शामिल है, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13. संविदाकार उपर्युक्त कार्य पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर तथा अस्थायी रूप से करवाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए वह सीप्ज़ में अपनी लागत व जिम्मेदारी पर पर्याप्त संख्या में सक्षम कर्मचारी रखेगा।

14. संविदाकार इस संविदा के तहत किए जाने वाले कार्य के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लेवी किए जाने वाले कॉर्पोरेट तथा कार्मिक कर तथा सेवा कर यदि कोई हो, के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

15. संविदाकार द्वारा सीप्ज़ के कार्य के लिए ऐसे कार्मिकों को ही नियोजित करेगा जो विनिर्देश में निर्दिष्ट शारीरिक स्वास्थता तथा न्यूनतम योग्यता का मानदंड पूरा करते हों।

215

16. संविदाकार का कोई कर्मचारी अपने ड्यूटी के समय के दौरान ही अपने कार्य स्थल पर रहेगा, इसके बाहर नहीं।

17. संविदाकार सीप्ज़ के अन्य चल तथा अचल संपत्तियोंसहित संस्थापनाओं की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा तथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा अत्यंत सतर्कत बरती जाए जिससे कॉरपोरेशन को किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षति न हो।

18. संविदाकार द्वारा नियोजित कर्मचारी संविदा के अनुसार संविदाकार के सीधे नियंत्रण में रहेंगे तथा कॉरपोरेशन तथा संविदाकार के बीच नियोक्ता कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होगा संविदाकार को सांविधिक उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

19. संविदा को संतोषजनक निष्पादन करने पर सीप्ज़ संविदाकार को कार्य के लिए स्वीकृत दरों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करेगा। संविदाकार अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी तथा अन्य पारिश्रमिक अथवा भत्ते यदि कोई हो, तो के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा/कॉरपोरेशन ऐसे किसी भुगतान/दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं संविदाकार द्वारा निर्धारित सेवा शर्तो के अनुसार होंगी तथा ये सेवा शर्तें उन पर लागू सांविधिक उपबंधों द्वारा नियंत्रित हैं।

20. संविदाकार को कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी तथा अन्य सांविधिक अभिलेख रखने होंगे तथा भुगतान करके इसका प्रमाण कॉर्पोरेशन को देना होगा कि उसने लागू सांविधिक उपबंधों के अनुसार अपने कर्मचारियों को भुगतान किया है।

21. सीप्ज़ किसी भी सांविधिक दायित्व तथा/अथवा संविदा श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 अथवा लागू अथवा जो लागू होने वाले किसी अन्य किसी सांविधिक अथवा अन्य कोई अधिनियम जो लागू हो जैसे किसी सांविधिक दायित्व तथा / अथवा अन्य किसी संविधि के तहत संविदाकार के कर्मचारियों को किसी भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संविदाकार पूर्ण रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

22. संविदाकार को यदि लागू हो, तो अपने संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा ईएसआइसी के लिए नियमित अंशदान करना होगा तथा इसकी रसीद उन्हें देनी होगी तथा इस कार्यालय को भी उक्त भुगतानों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

23. संविदाकार को कार्य आदेश दिए जाने की तारीख से तीन महीनों के अंदर कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा ईएसआइसी के पिछले अंशदानों का प्रमाण यदि लागू हो, तो प्रस्तुत करना होगा।

24. संविदाकार उक्त संविदा कार्य के लिए अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में अन्य सभी सांविधिक उपबंधों / दायित्वों के अनुपालन करने का वचन होगा।

25. संविदाकार अपने कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों / प्रतिनिधियों द्वारा किए कृताकृत के कारण कॉर्पोरेशन की संपत्ति को होने वाली क्षति अथवा हानि के लिए जिम्मेदार होगा तथा वह इसकी क्षतिपूर्ति उसको किए जाने वाले भुगतानों में से करेगा।

26. यदि संविदाकार संविदा के किसी दायित्व का अनुपालन करने अथवा सीप्ज़ को देय किसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसकी प्रतिभूति जमा जब्त / अथवा उस में से देय राशि का समायोजन किया जाएगा। इस संबंध में सीप्ज़ प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

27. संविदाकार को अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक / सार्वजनिक अवकाश देने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी किंतु इसके लिए उसको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ताकि संविदाकार के कर्मचारी कार्य के लिए उपलब्ध रहें।

28. संविदाकार कर्मचारियों के व्यक्तिगत रूप से जख्मी होने अथवा उनकी मृत्यु के कारण होने वाले सभी दावों, प्रभारों आदि के जिम्मेदार होगा। सीप्ज़ द्वारा संविदाकार के कर्मचारियों की दुर्घटना का जोखिम नहीं उठाया जाएगा। यह संविदाकार की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

29. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को लाने के लिए सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण किसी प्रकार के मुआवजे के भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

30. यह कार्यादेश प्रारंभ में 01 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। यह उपर्युक्त संविदागत अवधि की समाप्ति पर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तथापि, उक्त संविदा दोनों पक्षों द्वारा 1 महीने की सूचना देकर भी समाप्त की जा सकती है।

31. सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा के रूप में पार्टी के दूसरे भाग की मजदूर की बिलिंग राशि तथा उक्त करार के प्रभावी निष्पादन के रूप में कटौती करने का अधिकार सुरक्षित है, जो करार की समाप्ति पर वापस कर दिया जाएगा।

32. संविदा अवधि के दौरान संविदाकार का कोई कर्मचारी यदि किसी दुर्घटना में जख्मी हो जाता है, तो सीप्ज़ को इस मामले में बिना शामिल किए वह सीधे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा।

33. संविदाकार को किसी शिकायत अथवा विवाद अथवा किसी सरकारी संगठन द्वारा किए गए नोटिस को बिना सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण को इस मामले में शामिल किए स्वयं निपटाना होगा।

****

भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294719 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

NOTICE INVITING TENDER

Sub: Annual Maintenance Contract (AMC) for watering and maintenance of potted plants along median in SEEPZ-SEZ Campus as well as SEEPZ Residential Complex (Govt. quarters) for the year 2019-20.

The SEEPZ-SEZ Authority invites sealed tenders from experienced service providers for "Annual Maintenance Contract (AMC) for watering and maintenance of potted plants along median in SEEPZ-SEZ Campus as well as SEEPZ Residential Complex (Govt. quarters) for the year 2019-20".

(I) PROCEDURE FOR SUBMISSION OF TENDER:

1. The Tender should be submitted in a two bid system in two separate envelopes as under:

   Envelope 1 super scribed 'Technical Bid' should contain the documents required for Technical Eligibility, as stated in sub-paragraph III.

   Envelope 2 super scribed 'Financial Bid' should contain the Bid value as stated in sub-paragraph IV.

2. Both sealed envelopes should be submitted together in large cover superscribed as "Tender for Annual Maintenance Contract (AMC) for watering and maintenance of potted plants along median in SEEPZ-SEZ Campus as well as SEEPZ Residential Complex (Govt. quarters) for the year 2019-20" on the top of the envelop addressing to "The Manager (Estate), SEEPZ-SEZ Authority, Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai – 400 096".

3. The Sealed envelopes mentioned above will be received by this office up to **14:30 hrs on** 19/08/2019 by post / courier / by the bidder personally or through their authorized representatives or the same can be dropped in the Tender Box kept near Reception Counter at the ground floor of Development Commissioner Office, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai – 400 096.

4. Tenders received late, unsealed and without superscription are liable to be rejected.

5. The tender shall be duly signed with seal of Company/firm and complete in the printed form.

6. Every page of the tender document, including the specifications, etc. shall be duly signed by the bidder, in the bottom at left hand corner.

7. Every correction/ deletion / addition / overwriting / slip pasted shall be signed by bidder.

8. Incomplete, ambiguous and conditional tenders will not be entertained.

9. The bidders shall submit the certificate of authorization of the Authorized Signatory/ i.e. (applicable in case of association of person/ company/ partnership firm).

10. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner thereof, or in the event of the absence of any partner, it shall be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so.

11. In case, the bid submitted by the Joint Venture concern, the each concern under the said Joint Venture arrangement should qualify the criteria stipulated for pre-qualification and signed separately by each partner member and in the absence of any partner, it should signed by a person holding a power of attorney authority, to do so.

12. The bidder should quote the rates in words and in figures; if the rates quoted in words, differ from the rate quoted in figures, the lowest of the two will be taken as correct rate.

13. The tenders not accompanied by EMD and the required documents mentioned in Para III, will be summarily rejected.

14. The bidders may represent themselves personally or through authorized representative, if any, at the time of opening of tender.

15. The committee may, if so desire relax / amend one or other condition to determine eligibility of the bidder, without assigning any reason, thereof. Any enquiry, after submission of the bid, shall not be entertained.

16. The SEEPZ-SEZ Authority reserves the right to reject any or all tenders at any time / stage, without assigning any reasons whatsoever and the decision of the SEEPZ-SEZ Authority shall be final and binding on all the bidders.

17. In case of the withdrawal of the bid, the EMD will be forfeited.

(II) <u>OPENING OF TENDER</u>:

1. The ENVELOPE 1 super scribed 'Technical Bid' will be opened at **15:30 hrs on <u>19/08/2019</u>** in the presence of bidders and or their representative(s) who may like to be present before the Tender Committee and other officers, so authorized.

2. The date and time for opening the ENVELOPE 2 super scribed 'Financial Bid' will be intimated at the time of opening the ENVELOPE 1 super scribed 'Technical Bid'. Financial bid will open only among technically qualified bidders.

3. All bids would be evaluated by the tender opening committee, on the basis of documents, provided for Technical eligibility. After scrutinizing the documents, the Committee shall select the eligible bidders.

(III) CRITERIA FOR PRE-QUALIFICATION ON THE BASIS OF THE TECHNICAL BID:

ENVELOPE 1 super scribed 'Technical Bid' submitted by the Entities should contain the following documents to determine the Technical eligibility for empanelment.

1. The bidder shall submit the Earnest Money Deposit (EMD) for Rs.15,000/- (Rupees fifteen thousand) in the form of Demand Draft / Pay Order drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of **"SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund"** payable at Mumbai. In case of exemption claims from payment of EMD amount, the necessary exemption certificate viz MSME/NSIC shall be submitted.

1. Self-certified copies of PAN & GST of Registration.

2. Self-certified copy of IT Returns for last three years.

3. Proof in terms of copy of work orders in respect of contract awarded by Central Government / Central Government PSU/ Government of Maharashtra/ Government of Maharashtra Autonomous Body/ industrial area located in Maharashtra / Bank / reputed privates firms for previous 5 years, in the same field.

4. An Affidavit on Rs. 100/- non-judicial stamp paper duly notarized stating following;

   - M/s_______ has not been blacklisted nor come to any adverse notice by any office of Central Government / State Government / Semi-Government / Public Sector undertaking and Private Establishments.
   - I/We will not assign, transfer, pledge or sub-contract the performance of services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the Tender documents.
   - I/We have understood and agreed to the terms and conditions of the tender notice and I/We will also comply with them.
   - Neither I/We nor any employee/s of M/s_____ have criminal background till submission of tender.

5. The bidder should have its principal place of business at Mumbai Metropolitan Region. In this regard, any of the document i.e. Certificate of Incorporation/Certificate of commencement of business/Shop and Establishment License/Agreement/s acquiring the premises/Electricity bill/Telephone bill etc. must be enclosed along with technical documents.

(IV) <u>FINANCIAL BID</u>:

1. ENVELOPE 2 super scribed "Financial Bid' will be opened only for eligible bidder.
2. ENVELOPE 2 super scribed "Financial Bid" should contain the Bid Value.

3. Financial Bid should contain the rates per month (exclusive of payable taxes) for Watering and maintenance of potted plants along median in SEEPZ-SEZ premises and SEEPZ Residential Complex for 2019-20".

(Raju Kumar)
Asstt. Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/WAM/14/2019-20/14152

Dated 18/07/2019

Enclosures:

1. Scope of Work **(Annexure-A)**
2. Technical Bid Format **(Annexure-B)**
3. Financial Bid Format **(Annexure-C)**

ANNEXURE - A

Scope of work

The site of work is situated within the premises of SEEPZ-SEZ and SEEPZ-SEZ Residential Colony. The details of sub-works are as follows:-

1. Maintenance of lawn at SEEPZ Residential Colony by mowing, deweeding and keep them in lush conditions all the time.

2. Trimming of hedges, maintenance of shrubs by watering, manuring and spraying insecticides from time to time at SEEPZ Residential Colony.

3. Rotation of potted plants by watering, airing soil, timely, manuring spraying and insecticides etc.

4. Watering, pruning and manuring of potted plants along median.

5. Material like soil, manure, providing fertilizer, insecticides required for maintenance.

6. Periodical supervision at site as required, to supervise and guide to gardener for proper maintenance of gardens.

7. Work includes watering and maintenance of potted plants on daily routine basis.

8. Services of minimum on Garden supervisor and two gardeners at SEEPZ Colony and three gardeners at SEEPZ Office premises shall be provided.

9. Water (Recycled/ tap water) will be supplied at specific locations in SEEPZ premises and Residential colony. Conveyance up to plants and lawns will be the responsibility of contractor.

****

ANNEXURE - B

TECHNICAL BID FORMAT

1. Name of the Agency:
2. Contact No.:
3. Email:
4. The bidder shall submit the Earnest Money Deposit (EMD) for Rs.15,000/- (Rupees fifteen thousand) in the form of Demand Draft / Pay Order drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of **"SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund"** payable at Mumbai. In case of exemption claims from payment of EMD amount, the necessary exemption certificate viz MSME/NSIC shall be submitted.
5. Self-certified copies of PAN & GST of Registration.
6. Self-certified copy of IT Returns for last three years.
7. Proof in terms of copy of work orders in respect of contract awarded by Central Government / Central Government PSU/ Government of Maharashtra/ Government of Maharashtra Autonomous Body/ industrial area located in Maharashtra / Bank / reputed privates firms for previous 5 years, in the same field.
8. An Affidavit on Rs. 100/- non-judicial stamp paper duly notarized stating following;

   - M/s_______ has not been blacklisted nor come to any adverse notice by any office of Central Government / State Government / Semi-Government / Public Sector undertaking and Private Establishments.

   - I/We will not assign, transfer, pledge or sub-contract the performance of services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the Tender documents.

   - I/We have understood and agreed to the terms and conditions of the tender notice and I/We will also comply with them.

   - Neither I/We nor any employee/s of M/s_____ have criminal background till submission of tender.

9. The bidder should have its principal place of business at Mumbai Metropolitan Region. In this regard, any of the document i.e. Certificate of Incorporation/Certificate of commencement of business/Shop and Establishment License/Agreement/s acquiring the premises/Electricity bill/Telephone bill etc. must be enclosed along with technical documents.

****

ANNEXURE - C

FINANCIAL BID FORMAT

QTY.	ITEM DESCRIPTION	RATE (in fig & words)	UNIT	AMOUNT (Rs)
12	**Item No. 1:** Annual Maintenance of potted plants along median and watering in SEEPZ-SEZ premises and SEEPZ Residential Complex for 2019-20. Item includes; 1. Maintenance of lawn at SEEPZ Residential Colony by mowing, deweeding and keep them in lush conditions all the time. 2. Trimming of hedges, maintenance of shrubs by watering, manuring and spraying insecticides from time to time at SEEPZ Residential Colony. 3. Rotation of potted plants at SEEPZ office premises every fortnight and maintenance of potted plants by watering, airing soil, timely manuring, spraying and insecticides etc. 4. Watering, pruning and manuring of potted plants along median. 5. Material like soil, manure, providing fertilizer insecticides required for maintenance. 6. Periodical supervision at site as required, supervising and guiding to gardener for proper maintenance of gardens. 7. Work includes watering and maintenance of potted plants on daily routine basis. 8. Replacement of all broken tress as well as pots time to time.		Job Month	
	Total Rs.			

COST ABSTRACT

"Annual Maintenance Contract (AMC) for watering and maintenance of potted plants along median in SEEPZ-SEZ Campus as well as SEEPZ Residential Complex (Govt. quarters) for the year 2019-20" Rupees ______________________________ only.

I/We agree to execute the above items at the rates quoted by me/us. All the terms & conditions mentioned in the tender document are acceptable to me/us.

Signature of Authorized person with Agency seal

: OTHER TERMS AND CONDITIONS :

1. The successful bidder will be required to deposit an amount equal to 10% of the total contract value with the SEEPZ Special Economic Zone Authority being performance security within 07 days from the date of finalization of the bid, in the form of Demand Draft drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of "SEEPZ Special Economic Zone Authority Fund". Failure to make the payment, in stipulated period will result into cancellation / termination of the contract and thereby the EMD amount will be forfeited. The work order will be issued on receipt of performance security.

2. Performance Security deposit along with EMD will be refunded after successful completion of the contract.

3. The work of Watering maintenance of potted plants along median and lawn as per scope of work in SEEPZ-SEZ premises and SEEPZ Residential Complex for 2018-19 shall be done only under the supervision of caretaker or any other representative nominated by the Authority for the said purpose.

4. All the costs in connection with clearing, lifting, removing and disposing of the weed and waste materials will be borne by the successful bidder and no expenditure will devolve on the Authority.

5. Spreading or drying or segregation of the materials and weeds in the zone will not be allowed.

6. The successful bidder shall be responsible for all cleaning, watering and maintenance aspects of lawns and potted plants during the contract period.

7. **Billing:-** Contractor shall submit R.A. bill per month in first week of next month. It will be paid within a month after scrutiny. Applicable taxes on the bill will be deducted.

8. The tender is not transferable. The successful bidder shall not engage to any sub-contractor or any other organization in any matter and also not permitted to transfer their rights and obligations under the tender notice.

9. In case the bidder fails to do the work of maintenance and watering properly without any justifiable reasons, the same will be treated as breach of contract and in that case the Authority will have the right to impose fine of Rs.500/- per day or cancel / terminate the work order, without assigning any reason. No representation will be entertained In this regard.

10. On termination or cancellation of contract, the successful bidder shall not be entitled for any sum or sums, whatsoever, form the Authority by way of compensation, damages or otherwise.

****

Additional Contract Conditions

1. **Site of Work:** The site of work is situated within SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai-96 SEEPZ-SEZ premises and Residential colony. It is a custom bonded area, hence contractor has to obtain gate passes to his workers/staff at his own cost. No claim on this account shall be entertained by SEEPZ-SEZ.

2. The contractor shall engage an authorized full time experienced person on this work capable of engaging & guiding the work & understanding the specifications. He will take orders as will be given by the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority or his representative & shall be responsible for carrying them out. This person shall not change without prior intimation to the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority & his representative on the work site.

3. The contractor will take all the precautions during the execution and maintenance of work, so as not to cause any damage to any property & shall be responsible to make it good at his cost as directed by the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.

4. If in the opinion of the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority, any material, manure, fertilizer brought by the contractor is defective, improper, unsuitable or not as per specifications, the same shall be removed within 24 hours from the receipt of written instructions from the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority, otherwise the same will be disposed off by Department at risk & cost of contractor & no claims will be entertained on this ground.

5. **Labour Rates & Labour Payments:** All the acts & rules regarding payment & other conditions of employing labour on the work shall be binding on the contractors. The provisions of Workmen's Compensation Act are also binding on the contractor who shall be responsible for making all payments due under the Act in case of accident. The provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 are binding on the contractor. If the labour employed by the contractor is not found update mark, the contractor shall have to remove him/her from the site immediately.

6. **Accidents:** Should any accident, fetal or otherwise occur, a detailed report about the same shall be made promptly by the contractor to Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority, Police authorities & relatives of the persons who met with the accident & all cost involved therein shall be borne by the contractors.

7. **Technical & Supervisory Staff:** The Contractor shall engage on the work, a qualified & experienced supervisor capable of managing & guiding the work properly. This supervisor shall be authorized by the contractor in writing to receive orders issued by Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority from time to time. The contractor shall be responsible for carrying out these orders promptly. For this purpose the contractor shall employ adequate nos. of qualified persons to maintain the line, level & quality of work.

8. The contractor shall provide all facilities to his labour as per Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970. He shall obtain license from the concerned Labour Commissioner.

9. The contractor shall thoroughly inspect the site of work & get himself fully acquainted with site conditions before submitting his offer.

10. Extra charge for any item of work shall not be allowed unless the work to which is pertains is clearly beyond the sprit & meaning of the specifications or unless such work is ordered by the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority & claimed for in the manner specified, before the work is taken in hand.

11. **General:** The contractor shall be deemed to be thoroughly conversant with the local condition such as the availability of all the materials, skilled & unskilled labour & to have based his rates accordingly for this work. He shall be deemed to have carefully studied all the specifications/ drawings & followed them before the submission of his tender.

12. In case of any discrepancy between the type of working drawings on one hand & the wording of corresponding items specifications there of as per & the contract, the later will be deciding for the purpose of actual execution of items. However, the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority's decision should be obtained in the matter beforehand. For any component other than that specified in the item & specification there for, extra rate shall be payable. No major deviation involving substantial extra outlay will be made without the prior approval of the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.

13. The contractor shall undertake to carry out above work purely on contract basis and temporary basis and for that purpose, would engage sufficient competent personnel at SEEPZ at its own cost and responsibility.

14. The contractor shall be responsible for the corporate and personnel taxes & service tax levied by the Government of India and State Government for the work done under this contract, if any.

15. That personnel shall be deployed by the contractor on the job of the SEEPZ, subject to fulfillment of the standard of physical fitness & minimum qualification as specified in specification.

16. No employee of the contractor shall be at the place of his work except during his duty hours.

17. The Contractor shall be responsible for the security and safety of the installations including and other moveable and immovable properties of the SEEPZ and shall ensure that strict vigil is maintained by the personnel so as not to cause loss or damage to the SEEPZ SEZ Authority, whatsoever.

18. The personnel engaged/ employed by the Contractor in relation to this contract shall be under direct control of the Contractor and there shall not exist any employer-employee relationship between the SEEPZ SEZ Authority and the Contractor his personnel in any way.

19. On satisfactory fulfillment of the Contract, the SEEPZ shall pay to the Contractor, charges at the rates agreed for job, that the Contractor shall be responsible for the payment of salary/ wages and other remuneration or allowances if any, to the personnel so employed by them and the SEEPZ SEZ Authority shall not be responsible for any such payment/ liability.

Moreover, the services of such personnel shall be governed by the service conditions extended to them by the Contractor, in accordance with the statutory provisions applicable to them, if any.

20. The Contractor shall maintain muster roll of his personnel and other statutory records and make payment and submit authentic proof of such disbursement to the SEEPZ-SEZ Authority in respect of payment to his personnel in accordance with the statutory provisions applicable if any.

21. The SEEPZ will not be responsible to make any payment in respect of the personnel of the Contractor under any statutory obligation and/ or any statues such as Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, Employee's Provident Fund Act, 1952 or any other statues in force and/or which will be in force, or any other act as applicable. It will be sole responsible of the Contractor to make the payments as applicable.

22. The contractor should make if applicable regular contribution of personnel's provident fund and ESIC of the concerned Personnel and give regular receipts to them and submit a consolidated report of the above said transactions to this office.

23. The contractor should submit if applicable the proof of the previous contributions of employee's provident fund and ESIC within a period of three months from the date of given work order to the Contractor.

24. The Contractor shall undertake to comply with all other statutory provisions/ obligations in respect of the personnel engaged by them for the said contract work.

25. The Contractor shall be responsible for any loss or damage caused to the SEEPZ-SEZ Authority properties on account of any act of commission or commission on the part of its personnel and Supervisors / representatives and the same will be made good from the payment payable to the Contractor to the extent of the loss or damages so caused.

26. In case the Contractor fails to comply with any of his obligations in the contract and/ or in respect of any amount due from the contractor to SEEPZ, the security deposit shall be forfeited / adjusted towards such amount due from the contractor. The decision of SEEPZ-SEZ Authority will be final in this regard.

27. The Contractor should make his own arrangement to allow weekly holiday/ public holiday to the personnel but alternative arrangement must be made so that contractor's personnel are available.

28. The Contractor shall be fully responsible against all claims costs, charges arising out of personal injury or death to the employees. No accident risk of contractor's employee will be covered by SEEPZ. It is the entire responsibility of the Contractor.

29. To bring the labour force covered under the Employee State Insurance Scheme. SEEPZ-SEZ Authority shall not be liable to pay any compensation.

30. This agreement shall remain in force initially for a period of 01 year from date of work order. It will automatically come to an end on the expiry of the above contractual period however; the said contract is liable to be terminated by giving 1 month Notice by either party.

31. The SEEPZ-SEZ Authority reserves its right to deduct an amount billing amount of the wages payable to the party of the second part as security deposit and towards the effective performance of the said Agreement and the same will be returned after the expiry of the agreement.

32. During the contract period, if any employee of Contractor is injured in any mishap, the Contractor shall be responsible for taking necessary action directly without involving SEEPZ-SEZ Authority in this behalf.

33. The Contractor shall also directly deal with any complaints or disputes or notices given by any Govt. Organizations without involving SEEPZ-SEZ Authority.

****